



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3556]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941

No. 3556]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3938(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन मेरे द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2019 को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 तथा इस संबंध में मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अनुसरण में, मैं जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि से व्यय, संसद द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी प्रदान किए जाने तक, प्राधिकृत करता हूँ।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

31 अक्तूबर, 2019

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu and Kashmir Affairs)
ORDER

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3938(E).—Consequent upon the Proclamation issued on this, the 31st October, 2019, by me under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 read with articles 239 and 239A of the Constitution and in pursuance of section 74 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby authorise the expenditure out of the Consolidated Fund of the Union Territory of the Jammu and Kashmir pending the sanction of such expenditure by Parliament.

New Delhi
31st October, 2019.

RAM NATH KOVIND
President

[F. No. 11014/05/2014-K.I]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.